हैंक यार्न बाध्यता

हैंक यार्न बाध्यता योजना गत दो दशकों से भी अधिक समय से इस उद्देश से लागू है कि हथकरघा उद्योग को हैंक यार्न की पर्याप्त पूर्ति उचित कीमत पर सुनिश्चित हो सके। हैंक यार्न की बाध्यता (एच.वाई.ओ.) 50 प्रतिशत थी जिसे 01.01.2003 से घटाकर 40% प्रतिशत कर दी गई है। प्रचलित हैंक यार्न पँकिग अधिसूचना सं.2/टी.डी.आर.ओ. /8/2003, दि. 17.04.2003 जो दि.01.01.2003 से लागू है जिसमे विहित है कि वे सभी यार्न निर्माता जो नागरी उपभोग के लिए यार्न की पैकिंग करते है वे जनवरी-मार्च 2003 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक तिमाही एवं प्रत्येक अनुवर्ती तिमाही में ऐसे समानुपात में सूत की पैकिंग करेंगे, जो उनके द्वारा प्रत्येक तिमाही के दौरान पैक किये गये कुल यार्न के 40% प्रतिशत से कम न हो।

i) बशर्ते कि हैंक रुप में पैक किये गये यार्न का 80% से अनधिक 80 के काउंट का होगा रूई एवं अथवा रूई के अपशिष्ट (वेस्ट) एवं से पूर्णत: स्पन किये गये / तैयार यार्न के मामले में 80 से कम होगा ।

ii) सूत निर्माता जिनके पास स्वयं के पैकिंग द्वारा बाध्यता की पूर्तता करने के लिए रीलिंग की क्षमता नही है वें अपनी बाध्यता निम्न में से किसी भी प्रकार पूरी कर सकेंगे।

क) अगर किसी सूत निर्माता के पास अतिरिक्त रीलिंग क्षमता है तो उस सूत निर्माता के पास से अन्य सूत निर्माता से यार्न रील करवा सकते है जिसमें बाहरी स्वतंत्र रीलर शामिल हैं।

ख) किसी विशिष्ट तिमाही के लिये यार्न के एक निर्माता की कमी को, दूसरे उत्पादक द्वारा पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि उसकी स्वयं की हैंक यार्न बाध्यता वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की संतूष्टि तक पूर्ण हुई हो ।

जैसे कि उपर उल्लिखित हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्तता की मॉनीटरिंग करने के लिए यह विहित किया गया है कि सभी यार्न निर्माता अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को विभिन्न प्रपत्रों मे पैक किए गए यार्न की श्रेणियों का विवरण विहित तिमाही प्रपत्र के अनुलग्नक-1 में एवं अन्य इकाई को अंतरण द्वारा हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्तता की स्थिति को अनुलग्नक-II (विहित प्रपत्र) में क्रमश: संबंधित त्रैमासिक अवधि के समाप्ति के पश्चात दूसरे माह की 10 तारीख तक तथा दूसरे माह की समाप्ति तक जमा किया जाना है।

हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता तथा वास्तविक पैकिंग द्वारा इसकी पूर्तता का पिछले 10 वर्षों का ब्योरा निम्मानुसार है :-

(मि.कि.ग्रा.में आंकडें)

अ.क्र.	वर्ष	इकाइयों की संख्या, जिन्होंने रिटर्न जमा किया	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति		कमी (-) अधिक (+)	पूर्ति का प्रतिशत
			हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता	वास्तविक पैकिंग के आधारपर		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	2004-2005	2104	386.56	411.73	(+)25.17	106.51%
2	2005-2006	1942	451.84	441.94	(-)9.9	97.81%
3	2006-2007	2022	484.67	485.03	(+)0.63	100.13%
4	2007-2008	2099	516.03	527.37	(+)11.07	102.14%
5	2008-2009	2114	492.51	524	(+)31.49	106.39%
6	2009-2010	2090	525.78	534.74	(+)8.96	101.70%
7	2010-2011	2126	567.44	559.74	(-)7.59	98.67%
8	2011-2012	2150	511.11	522.05	(+)11.94	102.34%
9	2012-2013	2329	593.73	537.77	(-)19.96	96.64%
10	2013-2014 (अस्थायी)	2217	605.69	601.21	(-)4.48	99.26%